संकल्प संख्याः 03/न0प्र0नि0/PMAY-BLC-FY2017-18/29/2017............3760

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

**संकल्प**

राँची/दिनांक 13/09/19

**विषयः—नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY(U) को झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जाने हेतु निर्गत संकल्प संख्या – 171 दिनांकः 05.02.2016 में संशोधन किए जाने के संबंध में।**

भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न अवसरों पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की अवधि तक प्रत्येक परिवार को आवश्यक नागरिक सुविधा प्रदान करने के साथ "सभी के लिए आवास (शहरी)" के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संकल्प संख्या – 171 दिनांकः 05.02.2016 निर्गत की गयी है।

2. उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:—

| कंडिका संख्या | उप–कण्डिका सं० | उप–कण्डिका सं० | प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.6 | 5.6.1 | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 20% की प्रथम किश्त Plinth Level तक निर्माण हेतु देय होगी। | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 20% की प्रथम किश्त Foundation से Plinth Level तक निर्माण हेतु देय होगी। |
| | | 5.6.2 | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 30% की द्वितीय किश्त Plinth Level से Lintel Level तक निर्माण हेतु देय होगी। | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 30% की द्वितीय किश्त Plinth Level से Lintel Level तक निर्माण हेतु देय होगी। |
| | | 5.6.3 | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 20% की तृतीय किश्त Lintel Level से Roof Level तक निर्माण हेतु देय होगी। | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 40% की तृतीय किश्त Lintel Level से Completion तक निर्माण हेतु देय होगी। |
| | | 5.6.4 | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 30% की चतुर्थ एवं अंतिम किश्त की राशि आवास के Finishing कार्य हेतु देय होगी। | केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 10% की चतुर्थ एवं अंतिम किश्त की राशि आवास निर्माण के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात देय होगी। |

3. लाभुक के प्रत्येक किश्त का भुगतान Geotagging कर लिए जाने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
4. लाभुक के तृतीय एवं चतुर्थ किश्त का भुगतान नये प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
5. मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या– 301 दिनांकः 11.03.2015 की कंडिका 1.1 के आलोक में उपरोक्त पर दिनांकः 05.09.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।
6. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा, तथा इस संकल्प का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

**आदेश**— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 03/न0प्र0नि0/PMAY-BLC-FY2017-18/29/2017 3760 राँची/दिनांकः 13/09/19

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रकाशनोपरांत संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 03/न0प्र0नि0/PMAY-BLC-FY2017-18/29/2017 3760 राँची/दिनांकः 13/09/19

प्रतिलिपिः:— महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 03/न0प्र0नि0/PMAY-BLC-FY2017-18/29/2017 3760 राँची/दिनांकः 13/09/19

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक, जुडको लि०, राँची/निदेषक, नगरीय प्रषासन निदेषालय/संयुक्त सचिव (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विषेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/परियोजना निदेषक (तकनीकी), जुडको लि०, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विषेषज्ञ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।